कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 471 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,अगस्त, 02 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 02.07.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 39–2– यू.पी.)

2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./149 दिनांक– 04.07.2019

3–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 50/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 08 जुलाई, 2019

4– इस कार्यालय का पत्र संख्या– 335/रेनुकूट/15–117 दिनांक– 25.07.2019

5–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 216/11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016 लखनऊ दिनांक– 29.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 02.07.2019 की कार्यवाई तथा संदर्भित पत्र दिनांक– 04.07.2019 व 08.07.2019 का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशो के अनुपालन में enrichment planting हेतु निर्धारित धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 25.07.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ से उचित निर्देश देने हेतु अनुरोध करते हुए पत्र की प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर, प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड– तृतीय , पिपरी–सोनभद्र को भी प्रेषित किया गया था ।

प्रभाग का उक्त पत्र दिनांक– 25.07.2019 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक– 29.07.2019 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि, " विषयगत प्रकरण में दिशा–निर्देश के संबंध में पत्र मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उनके अभिमत सहित प्रेषित करने का कष्ट करें । उचित हो कि आप उनके द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त किया करें " । उक्त के संबंध प्रस्तावक विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक–

31.07.2019 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच0 अलीगंज लखनऊ के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया गया । सम्पर्क करने पर यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में केवल वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दें । दिनांक– 08.08.2019 को क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक प्रस्तावित है । प्रस्तावित बैठक में वांछित धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया जायेगा । भारत सरकार के द्वारा निर्देश सुझाव के क्रम में प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र संख्या– 445 दिनांक–01.08.2019 द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए वांछित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है । उक्त के आधार पर प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

S. No.	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक–02.07.2019 का Decision	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
(a)	Detailed compliance of the conditions/recommendation of the committee on different components of the Terms of Reference for transfer of Forest land to the Irrigation Department for purpose of said Irrigation Project have not been submitted by the state government as well as Project Proponent.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेख पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न ।
(b)	Proposal of Compensatory Afforestation on equivalent Non-Forest land against diversion of proposed 127.1637 ha of forest land for canals and subsidiary canals have been submitted by the state government . However, Compliance on issues regarding raising CA on balance 1295 hectare and enrichment planting as recommended by Committee with reference to the order of Hon'ble NGT regarding above said Irrigation project is still awaited. In view of this the Proposal is deferred for the next meeting.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलबध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र

2–अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय , पिपरी–सोनभद्र ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वनप्रभाग,
रेनुकूट सोनभद्र।

पत्रांकः 445 /क0नि0ख0–3,पि0/वनभूमि/ दिनांक 01.08.2019

विषयः जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भः मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना, विन्ध्याचल, मिर्जापुर का पत्रांक–2336/मु0अ0क0सिं0प0/वनभूमि/दिनांक 31.07.2019

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को सम्बोधित, मुख्य अभियन्ता कनहर सिंचाई परियोजना, विन्ध्याचल, मिर्जापुर के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जो अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है। कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर एवं नहर प्रणालियों के लिये रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.488 हे0 आरक्षित वन भूमि (कुल 127.1637 हे0 वन भूमि) के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव क्षेत्रीय सशक्त समिति की 39वीं बैठक दिनांक 02.07.2019 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त की 39वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वनीकरण एवं संबर्धन (Compensatory afforestation and enrichment of plant) पर होने वाले व्यय से आपने अपने पत्र सं0–335/रेनुकूट/15–117 दिनांक 25.07.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को अवगत कराया है, जो अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है। परियोजना हेतु प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण हेतु उपरोक्तानुसार वनीकरण व संवर्धन पर होने वाले व्यय से सिंचाई विभाग सहमत है, जिसके लिये समुचित धनराशि परियोजना में उपलब्ध है (प्रमाण पत्र संलग्न)। आपके पत्र के परिप्रेक्ष्य में परियोजना के उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वनीकरण एवं संबर्धन (Compensatory afforestation and enrichment of plant) पर होने वाले व्यय का सहमति का पत्र प्रेषित करें जिसके उपरान्त क्षेत्रीय सशक्त समिति की अगली प्रस्ताविक बैठक दिनांक 08.08.2019 में स्टेज–1 की स्वीकृति एवं लेखा शीर्षक निर्धारित करते हुये भुगतान के लिये निर्देश दिये जायेंगे। क्षेत्रीय सशक्त समिति की 39वीं बैठक में दिये गये निर्देश की विन्दुवार आख्या संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय सशक्त समिति की 39वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर विभाग की उक्तानुसार सहमति एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों की अनुपालना की सहमति पत्र अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

01/08/19
अधिशासी अभियन्ता
कनहरनिर्माणखण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र

पत्रांकः 445 /क0नि0ख0–3,पि0/वनभूमि/तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–मुख्य अभियन्ता, कनहर सिचाई परियोजना, मीरजापुर।
2–अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल पिपरी सोनभद्र।

01/08/19
अधिशासी अभियन्ता
कनहरनिर्माणखण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र